न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 45 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 67)	22.04.2024	09.06.2025

1. लक्ष्मीचन्द आ. रामकिशन जाट जाति जाट
   निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. रेखलाल आ. नन्दा जाति गुर्जर,
   निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
3. अर्जुन चौधरी आ. रामकिशन जाति जाट
   निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
4. रमेश बैरागी आ. मांगीलाल बैरागी
   निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति कंजर निवासी कंजर कॉलोनी,
   रामनगर, तहसील व जिला बून्दी।
2. श्रीमती सरिता पुत्री हनुमान जाति कंजर
   निवासी पनवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
3. भागचन्द तथाकथित पुत्र चतुर्भुज जाति कंजर
   निवासी कंजर कॉलोनी, रामनगर, तहसील व जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री सैयद अफजल हुसैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र हनुमान, चतुर्भुज पि. रमज्या कंजर को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 171 एवं 172 किता 2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम दौलतपुरा आवंटन आदेश दिनांक 02.08.1992 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 45/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/67 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 29.10.2024 को जवाब पेश किया जाकर उक्त कार्यवाही मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. दिनांक 27.05.2025 को पेश किया। बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस प्रा.पत्र पर मनन किया। उक्त दस्तावेज प्रकरण में निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते है, ऐसे में न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाता है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 171 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा सं. 172 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम दौलतपुरा में स्थित है, उक्त भूमि को दिनांक 02.08.1992 को हनुमान व चतुर्भुज पि0 रमज्या जाति कंजर निवासी कंजर कॉलोनी, रामनगर तहसील व जिला बून्दी ने स्वयं के नाम आवंटन बताते हुए उक्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 04.05.1993 को गैर खातेदारी में दर्ज कराया है। वास्तव में दिनांक 02.08.1992 को उक्त भूमि का कोई आवंटन हनुमान व चतुर्भुज को नहीं हुआ। इस बाबत आवंटन की नकल का प्रार्थना पत्र देने पर उक्त आवंटन रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण नकल प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी द्वारा खारिज कर दिये जाने पर पता चला कि उक्त आवंटन की न तो पत्रावली है और ना ही हनुमान व चतुर्भुज को भूमि खसरा सं. 171, 172 का कोई आवंटन हुआ है। असत्य तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण खुलाया है, जबकि उक्त भूमि पर हनुमान व चतुर्भुज का अपने जीवनपर्यन्त कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही हनुमान की मृत्यु के बाद उसके पुत्र

जिला कलेक्टर, बून्दी

राजेन्द्र व पुत्री सरिता का कभी कब्जा रहा है। चतुर्भुज कुंवारा था, उसके कोई संतान नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 भागचन्द ने स्वयं को चतुर्भुज का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण खुलाया है जो कानून विरूद्ध है। भागचन्द का भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार आवंटी और उनके वारिसान द्वारा न तो आवंटन के प्रथम वर्ष काश्त की, न ही द्वितीय वर्ष काश्त की, इससे आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। आवंटन के पूर्व न तो नियमानुसार घोषणा की गई, न ही भूमिहीन काश्तकारों की सूची बनाई गई और न ही कोई कमेटी आवंटन हेतु गठित की गई। भूमि आवंटन नहीं होने के बावजूद भी तथ्यों को छिपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर स्वयं के पक्ष में गैर खातेदारी में दर्ज करवा ली गई। उक्त भूमि पर गत 60 वर्षो से प्रार्थी के पिता रामकिशन का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी लक्ष्मीचन्द का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाद विषयक भूमि के पास राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुरा का भवन निर्मित है। उक्त विद्यालय के पास उक्त भूमि होने से प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि बच्चों के खेलने के लिये खेल मैदान के रूप में दे दी थी। इस प्रकार गत 35 वर्षो से उक्त भूमि पर स्कूल के बच्चे तथा गांव के बच्चे खेलते है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक हित के लिये भी काम आती है। सार्वजनिक हित में काम आने वाली भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत हट्टीपुरा द्वारा भी रिपोर्ट दी गई है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को बेचने का इकरारनामा आशाराम आ. रामकरण बैरवा निवासी सुमेंरगंजमण्डी को दिनांक 01.03.2024 कर दिया है। गैर खातेदारों द्वारा भूमि बेचान कर दिये जाने से उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त तथाकथित आवंटन एवं नामान्तरकरण की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि बाबत मार्च, 2024 में अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने तथा भूमि स्वयं के पिता के पक्ष में आवंटन होना बताते हुए कब्जा करने की धमकी दी गई। इस पर प्रार्थी ने उक्त दस्तावेजात की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये, किन्तु कोई आवंटन नहीं होना प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बिना आवंटन पत्रावली एवं आवंटन के तथ्यों व भूमि पर कब्जे की जानकारी किए बिना दिनांक 02.08.1992 को हनुमान व चतुर्भुज के पक्ष में आवंटन किया जाना अंकित कर गैर कानूनी रूप से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 04.05.1993 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 1991 page 218, RRD 2002 page 1, RRD 1990 page 465, RRD 2002 page 65, RRD 2009 page 195, RRD 2005 page 627 की नजीरें पेश की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 32 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वजों का या प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और वर्तमान में भी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पूर्वज आवंटन से पूर्व वर्षो से काश्त करते थे तथा आवंटी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण का बहैसियत गैरखातेदार कब्जा काश्त रहे है। आवंटन का पात्र मानते हुऐ दिनांक 02.08.1992 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया था। प्रार्थीगण ने जिस आवंटन आदेश को चुनौती दी है, किन्तु उक्त आवंटन आदेश की नकल प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश नहीं की गई, जिसके अभाव में यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने या आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही भूमिधारी तहसीलदार द्वारा पेश की जाती है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है, जबकि प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं होने से वह पीड़ित पक्षकार नहीं है। उक्त आवंटन आदेश से पीड़ित पक्षकार नही होने से प्रार्थीगण को यह कार्यवाही पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भी यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि स्कूल से काफी दूर है तथा खेल मैदान के लिये काम में नहीं आ रही है और न ही उक्त भूमि सार्वजनिक हित में काम ली जा रही है। आवंटित भूमि को गैर खातेदारान द्वारा बेचान किये जाने का आरोप भी सही नहीं है क्योंकि उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में अंकित हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 04.05.1993 के अवलोकन से हनुमान, चत्रभुज पि0 रमज्या कौम कंजर निवासी कंजर कोलोनी को दिनांक 02.08.1992 को भूमि खसरा संख्या 171 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 172 रकबा 16 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम दौलतपुरा का आवंटन किया जाना प्रकट है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार अंजुबाई पत्नी हनुमान हिस्सा 1/6, राजेन्द्र पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6, सरिता पुत्री हनुमान हिस्सा 1/6 एवं भागचन्द पुत्र चतुरभुज हिस्सा 1/2 जाति कंजर सा. कंजर कोलोनी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थीगण की आपत्ति है कि तहसील कार्यालय में आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं है और न ही आवंटी के वारिसान के पास आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध है। बिना आवंटन आदेश जारी हुये राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दिया जाना बताते हुये प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय बून्दी द्वारा खारिज किये गये नकल के आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की गई। अप्रार्थीगण की ओर से आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी उनकी गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होने के संबंध में पत्रावली पर नकल जमाबंदी संवत 2046–2049, जमाबंदी संवत 2050–53, जमाबंदी संवत 2054–57, संवत् 2070–73 एवं जमाबंदी संवत 2076 पेश की गई है।

प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उक्त भूमि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों एवं गांव के बच्चो द्वारा खेल मैदान के रूप में कई वर्षो से उपयोग में ली जा रही है, इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत, हट्टीपुरा द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.01.2025 पत्रावली पर पेश किया गया। जबकि अप्रार्थीगण का जवाब है कि उनकी गैर खातेदारी की उक्त भूमि उनके कब्जा काश्त में है जो स्कूल से काफी दूर स्थित है तथा सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली जा रही है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने से खारिज किया जावे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होकर भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग में लिये जाने से आवंटन खारिज किये जाने हेतु यह कार्यवाही पेश की गई है। पत्रावली पर गैर खातेदारान के कब्जा काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की मौका जांच किये जाने पर यदि गैर खातेदारान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर भूमि अन्य उपयोग में काम में ली जा रही हो तो कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन दिनांक 02.08.1992 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी